संख्याः 5 /2017/1713/24-पी-2-17-सा0(144)/2017

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1-अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण निगम लि0, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक: 31 अगस्त, 2017

विषयः- **उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों, केस्को, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के कार्मिको के वेतनमान एवं भत्ते सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अधोलिखित निर्णय लिये गये हैः-

(क) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को के साथ-साथ उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के समस्त कार्मिकों के वेतनमान एवं भत्ते उ0प्र0 शासन द्वारा सातवें वेतनमान की स्वीकृति के सिद्धान्तों के आधार पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल में दिनांक 19.06.2017 के पारित प्रस्ताव के अनुसार 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित कर दिये जायें।

(ख) माह जुलाई, 2017 के माह का वेतन जो कि 01 अगस्त, 2017 को देय है, का नकद भुगतान पुनरीक्षित वेतन संरचना में करा दिया जाये तथा 01.01.2016 से 30.06.2017 तक के अवशेष का भुगतान 04 वार्षिक किश्तों में जिसमें 20 प्रतिशत नकद एवं 80 प्रतिशत कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खाते/अंशदायी भविष्य निधि खाते में निम्नवत् अन्तरित करके कराया जायें:-

अवशेष से सम्बन्धित अवधि	वित्तीय वर्ष का माह जिससे पूर्व आहरण/भुगतान अनुमन्य नहीं होगा
01.01.2016 से 31.03.2016	अक्टूबर, 2017
01.04.2016 से 31.07.2016	अक्टूबर,2018
01.08.2016 से 31.12.2016	अक्टूबर,2019
01.01.2017 से 30.06.2017	अक्टूबर,2020

2- सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान एवं भत्ते स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप आने वाला अतिरिक्त व्ययभार सम्बन्धित निगमों द्वारा अपने आन्तरिक संसाधनों से वहन किया जायेगा तथा इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नही की जायेगी।

3- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

---2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः 5/2017/1713(1)/24-पी-2-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
4- प्रबन्ध निदेशक, जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ ।
5- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।